राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 35/2014
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2014/00220
दायर दिनांक– 22.05.2014
निर्णय दिनांक– 12.10.2023

1. लीला देवी पत्नि गोविन्द लाल बाहेती
2. श्रीमती अनीता कलन्तरी पुत्री गोविन्द लाल बाहेती
3. श्रीमती सुनिता बजाज पुत्री गोविन्द लाल बाहेती
4. कोमल बाहेती पुत्री कमल किशोर बाहेती
5. रितेश बाहेती पुत्र कमल किशोर बाहेती
6. पंकज बाहेती पुत्र कमल किशोर बाहेती
   सर्वजाति महाजन, सर्वनिवासी ग्राम रूपनगढ़ जिला अजमेर हाल नि0 हैदराबाद जरिये प्राधिकृत अभिकर्ता पंकज बाहेती पुत्र कमल किशोर

बनाम

1. कमल किशोर बाहेती पुत्र गोविन्द लाल बाहेती जाति महाजन निवासी हैदराबाद जरिये प्राधिकृत अभिकर्ता जुगल किशोर बाहेती पुत्र गोकुल चन्द बाहेती निवासी मदनगंज किशनगढ़ (अजमेर)
2. नारायण लाल बाहेती पुत्र लूणकरण बाहेती जाति महाजन निवासी हाल हैदराबाद
3. पुरूषोत्तम लाल पुत्र लूणकरण बाहेती जाति महाजन निवासी हाल हैदराबाद
4. उपपंजीयक रूपनगढ़
5. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय, अजमेर

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–: 1. श्री ध्रुवसिंह चौधरी अधि0 प्रार्थीगण
2. श्री गणेश प्रजापति अधि0 अप्रार्थी संख्या 1

–:निर्णयः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पूर्वज रामकिशन बाहेती पुत्र रामनारायण बाहेती की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि आराजी कृषि भूमि ख0न0 194 रकबा 15 बीघा, ख0न0 254/1 रकबा 1 बीघा भूमि ग्राम मोरडी पटवार हल्का मोरडी में अवस्थित है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी की घोषणात्मक डिक्री व बंटवारा की डिक्री दिनांक 18.10.2012 को राजस्व वाद संख्या 96/2007 जगदीश बाहेती वगैरह बनाम कमल किशोर बाहेती वगैरह के प्रकरण में पारित की गयी थी। वह निर्णय व डिक्री प्रार्थीगण के प्रति आरम्भ में शून्य है। उक्त निर्णय व डिक्री अनुसार खोला गया नामान्तरकरण प्रार्थीगण के हितो के प्रति शून्य, बेअसर व प्रभावहीन है। पूर्व वाद की घोषणात्मक डिक्री व निर्णय दिनांक 18.10.2012 के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अपने हिस्से में आये 1/3 हिस्सा का सम्पूर्ण आराजी को जरिये पॉवर ऑफ अटोर्नी होल्डर जगदीश किशोर बाहेती पुत्र गोकुल चन्द्र बाहेती जाति माहेश्वरी निवासी मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर के जरिये दिखावटी विक्रय विलेख अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम पूर्व राजस्व वाद के निर्णय के आधार पर राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर दिनांक 08.11.2012 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख अप्रार्थी संख्या 4 के समक्ष से अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम विक्रय विलेख पंजीबद्ध करा दिया गया था जो प्रार्थीगण के हितों के प्रति आरम्भ से शून्य, प्रभावहीन व बेअसर है। उक्त विक्रय विलेख का कानूनन कोई अस्तित्व नहीं है। उक्त विक्रय विलेख फर्जी व दिखावटी है। प्रार्थीगण के द्वारा उक्त विक्रय विलेख हेतु किसी प्रकार की कोई सहमति, स्वीकृति नहीं ली गई थी और न कोई रकम प्राप्त की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.09 13:17:40 IST
Reason: Self Attested

12.10.23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थीगण उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से किसी प्रकार से प्रभावित नही है। वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा सम्पूर्ण कृषि आराजी रकबा 16 बीघा बताया गया था। विक्रय विलेख दिनांक 08.11.2012 में बताया गया हिस्सा गलत है। अप्रार्थी संख्या 1 का वादग्रस्त आराजी में 1/48 हिस्सा हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत पैतृक कृषि आराजी में बनता था तथा प्रार्थी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 4 का 1/48 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 5 का 1/48 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 6 का 1/48 हिस्सा कानूनन बनता था। अप्रार्थी संख्या 1 अपने हिस्से 1/48 से अधिक कृषि आराजी का वैध रूप से हस्तान्तरण करने का दिनांक 08.11.2012 का अधिकार ही नहीं था उनकी ओर से किया गया विक्रय विलेख दिनांक 08.11.2012 प्रार्थीगण 1 से 6 के हितो के प्रति आरम्भ से शून्य व बेअसर है। प्रार्थीगण अपने हिस्से में आई पैतृक कृषि आराजी का बंटवारा अच्छी में अच्छी व बुरी में से बुरी का बंटवारा अपने हिस्सेनुसार कराकर नया खाता, खसरा नाप चौप कर कायम किये जाने की बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 प्रदान करावे तथा वाद बंटवारा प्रार्थीगण के हिस्से में आई कृषि आराजी के उपयोग–उपभोग में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की बाधा ना पहुचाये, उन्हे बेदखल नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अप्रार्थी संख्या 4 के समक्ष अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में ताफैसला मूल वाद गलत इन्द्राज के आधार पर किसी प्रकार का निर्माण कर किसी प्रकार कारखान आदि का निर्माण करने का उतारू है तथा हस्तान्तरण विलेख, बैचान बख्शीश वसीयत रहन आदि पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जावे तो अप्रार्थी संख्या 4 उसका पंजीयन न करे तथा अप्रार्थी संख्या 5 राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का फेरबदल न करे, नामान्तरकरण न खोले आदि से ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी के कथन अनुसार प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि ख0न0 194 रकबा 15 बीघा, ख0न0 254 रकबा 01 बीघा कुल रकाब 16 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज होकर स्थित थी। उक्त भूमि का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ द्वारा दिनांक 18.10.2012 को खातेदारी विभाजन की डिक्री पारित की गयी थी, जिसके पश्चात खातेदार जुगलकिशोर बाहेती सभी खातेदारों ने नारायणलाल, पुरूषोत्तम आदि को राजीखुशी उक्त भूमि का बेचान कर दिया था तथा मौके पर प्रार्थीगण का उक्त भूमि से कोई संबंध सरोकार नही है। प्रार्थीगण ने पारिवारिक सजरा दर्शित किया है उसके अनुसार जो वर्तमान में खातेदार दर्ज है उनके द्वारा भूमि का बेचान कर दिया गया है तथा प्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा डिक्री पारित करने से पूर्व हकत्याग खातेदारों के पक्ष में दिनांक 20.07.2011 को कर दिया था तथा न्यायालय की डिक्री प्रार्थी संख्या 1 से 3 की सहमति से पारित की गयी थी तथा प्रार्थी संख्या 4 से 6 तथा इनके पिता कमलकिशोर बाहेती द्वारा उक्त भूमि को बेचान कर दिया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी प्रावधानों के अनुसार अपने पिता के जीवनकाल में अपने पुत्रों को खातेदारी प्राप्त करने व राजस्व रिकार्ड [illegible] अधिकार नही है तथा सजरे को गलत तरीके से पेश किया गया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ द्वारा राजस्व वाद संख्या 96/2007 उनवान जगदीश बाहेती [illegible] कमलकिशोर [illegible] में दिनांक 18.10.2012 को पारित निर्णय एवं डिक्री किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण के हितो के विपरीत नही है क्योंकि प्रार्थी संख्या 1 से 3 ने न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से पूर्व ही अपने भाईयो [illegible] पक्ष में हकत्याग कर दिया था। प्रार्थी संख्या 4 से 6 अप्रार्थी संख्या 1 के वारिसान है तथा इनके पिता द्वारा राजीखुशी खातेदारी विभाजन कर भूमि का बेचान कर दिया था तथा अपने जीवनकाल में पुत्रो को उनके वारिसान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.09 13:17:40 IST
Reason: SelfAttested

12.10.23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि पैतृक भूमि में हिस्सेदारी हेतु उक्त वाद किया गया है। वादग्रस्त आराजीयात यदि किसी अन्य पक्ष को स्थानांतरित होती है तो उससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। पैतृक संपति में सबका बराबर हिस्सा होता है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा किया गया बेचान गलत है। अप्रार्थीगण केवल अपना हिस्सा ही बेचान कर सकते है अन्य का नहीं। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी हो।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 के वकील ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी को प्रार्थी के पिता द्वारा राजी–खुशी जमीन का बेचान किया गया था। मौके पर अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी पर भूमि के क्रय के समय से ही काबिज काश्त है। वास्तविक खातेदार काश्तकार के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रार्थी के पास नहीं है। अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को भारी हर्जाने के साथ खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अध्ययन अवलोकन एवं बहस पर मनन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के विरूद्ध सिद्ध होते है, इस कारण खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् के आधार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

12.10.22

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.09 13:17:40 IST
Reason: SelfAttested